

**पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में  
2017 का सिविल विविध क्षेत्राधिकार सं. 1180**

=====

- 1.1 चिंता देवी पति कपिलदेव प्रसाद पिता स्वर्गीय रूपनारायण प्रसाद निवासी उत्तरी कोईरी टोला, हिल्सा, डाकघर-हिलसा, थाना-हिलसा, जिला- नालंदा।
2. संतोष कुमार, पिता रूपनारायण प्रसाद निवासी गाँव-केला बीघा, डाकघर तेलहरदा, थाना.- एकंगर सराय, जिला-नालंदा।

... .. याचिकाकर्ताओं

बनाम

1. सीता राम प्रसाद पिता स्वर्गीय बंधु महतो निवासी- गाँव-केला बीघा, डाकघर- तेलहरदा, थाना -एकंगर सराय, जिला-नालंदा।
2. दयानंद प्रसाद पिता स्वर्गीय बंधु महतो निवासी- गाँव- केला बीघा, डाकघर- तेलहरदा, थाना -एकंगर सराय, जिला-नालंदा।
3. शैलेंद्र कुमार, पिता-सीता राम प्रसाद निवासी- गाँव- केला बीघा, डाकघर- तेलहरदा, थाना-एकंगर सराय, जिला-नालंदा।
4. रणजीत कुमार, पिता-सीता राम प्रसाद, निवासी- गाँव- केला बीघा, डाकघर- तेलहरदा, थाना-एकंगर सराय, जिला-नालंदा।
5. श्रीमती उमापति देवी, पति डॉ. डोमन प्रसाद निवासी- गाँव -अंबा, डाकघर और थाना- राहुई, जिला-नालंदा।
6. श्रीमती सुगिया देवी, पति श्री कामधर प्रसाद निवासी- गाँव-महवाड़ा, डाकघर -सारंगपुर, थाना-जहानाबाद, जिला-जहानाबाद।

... ..प्रतिवादीगण

=====

**उपस्थिति:**

|                      |   |                                           |
|----------------------|---|-------------------------------------------|
| याचिकाकर्ताओं के लिए | : | श्री विशाल सौरभ, विद्वान अधिवक्ता         |
|                      |   | श्री सुजीत कुमार सिन्हा, विद्वान अधिवक्ता |
| प्रतिवादीगण के लिए   | : | श्री अनिल कुमार सिंह, विद्वान अधिवक्ता    |

=====

- इजराय न्यायालय डिक्री से आगे नहीं जा सकता है तथा उसे इसकी शर्तों के अनुसार ही इसे निष्पादित करना होगा - इजराय के लिए नियुक्त नाजिर को अंतिम डिक्री तथा अधिवक्ता आयुक्त की रिपोर्ट का पालन करना होगा तथा उसे भूखंडों के आवंटन में संशोधन करने का कोई अधिकार नहीं है। (पैरा-6-7)
- इजराय पर आपत्तियां - स्वीकार्यता तथा सीमा - एक बार इजराय पर आपत्ति खारिज हो जाने पर, उसे तब तक दोबारा नहीं उठाया जा सकता जब तक कि न्यायालय द्वारा विशेष रूप से अनुमति न दी जाए - निर्णय-ऋणी इजराय चरण में तब तक नई आपत्तियां नहीं उठा सकते जब तक कि वे इजराय प्रक्रिया में स्पष्ट कानूनी उल्लंघन प्रदर्शित न कर दें। (पैरा-8-9)।
- इजराय कार्यवाही में अधिवक्ता आयुक्त की रिपोर्ट की अंतिमता - अधिवक्ता आयुक्त की रिपोर्ट, एक बार स्वीकृत हो जाने तथा अंतिम डिक्री में शामिल हो जाने पर, निर्णायक स्थिति प्राप्त कर लेती है तथा इजराय चरण में उसे चुनौती नहीं दी जा सकती। - नाजिर अंतिम रिपोर्ट के अनुसार डिक्री को निष्पादित करने के लिए बाध्य है तथा उसे कोई संशोधन करने का अधिकार नहीं है। (पैरा-6-7)।
- निर्णय - यदि कोई इजराय न्यायालय बिना किसी कानूनी औचित्य के इजराय रिपोर्ट को रद्द कर देता है, तो उच्च न्यायालय हस्तक्षेप कर सकता है और ऐसे आदेश को रद्द कर सकता है। इजराय न्यायालय का आदेश, जिसने नजीर की रिपोर्ट को रद्द कर दिया और नए सिरे से कब्जा देने का निर्देश दिया, अधिकार क्षेत्र से बाहर था और रद्द किए जाने योग्य था - दिनांक 20.02.2017 का विवादित आदेश रद्द किया गया। (पैरा-9 - 10)
- संदर्भित मामले - दीपाली बिस्वास बनाम निर्मलेन्दु मुखर्जी, AIR 2021 SC 4756

=====

### पटना उच्च न्यायालय का निर्णय आदेश

=====

कोरम: माननीय न्यायमूर्ति श्री अरुण कुमार झा

सी ए भी निर्णय

तिथि - 07-03-2025

तत्काल दीवानी विविध याचिका 20 फरवरी, 2017 के उस आदेश को रद्द करने के लिए दायर की गई है जो 2014 के इजराय मामले संख्या 1 में विद्वान अवर न्यायाधीश -I, हिलसा, नालंदा द्वारा पारित किया गया था, जिसके तहत और जिसके द्वारा विद्वान इजराय अदालत ने कब्जा सौंपने और नाजिर द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट को भी दरकिनार कर दिया और डिक्री धारक यानी याचिकाकर्ता को प्रश्नगत भूमि पर कब्जा आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक कदम उठाने का निर्देश दिया।

02. संक्षेप में मामले के तथ्य जैसा कि अभिलेखों से पता चलता है, याचिकाकर्ताओं ने प्रतिवादियों/उत्तरवादियों के खिलाफ स्वत्व विभाजन वाद संख्या 38/2001 दायर किया था, जिसमें उन्होंने वाद की अनुसूचित संपत्ति में अपना आधा हिस्सा मांगा था। मुकदमा में संघर्ष किया गया और मामले की सुनवाई के बाद विद्वान ट्रायल कोर्ट ने 27.01.2006 को फैसला पारित करके और 08.01.2007 को डिक्री जारी करके मुकदमे का निपटारा कर दिया। 25.07.2007 को अधिवक्ता आयुक्त की नियुक्ति के लिए एक याचिका दायर की गई थी ताकि वह अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर सके और श्री वासुदेव नारायण वर्मा, विद्वान अधिवक्ता को अधिवक्ता आयुक्त नियुक्त किया गया। विद्वान अधिवक्ता आयुक्त ने 02.07.2008 को अदालत में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। याचिकाकर्ताओं की याचिका से यह भी पता चलता है कि तीन वर्ष बीत जाने के बाद प्रतिवादियों ने 17.10.2011 को अधिवक्ता आयुक्त की रिपोर्ट के खिलाफ आपत्ति दर्ज कराई। विद्वान विचरण न्यायालय ने पक्षकारों की सुनवाई के बाद अधिवक्ता आयुक्त की रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया और प्रतिवादियों द्वारा दायर आपत्ति को खारिज कर दिया। प्रतिवादियों द्वारा उक्त अस्वीकृति के खिलाफ कोई अपील या पुनरीक्षण पेश नहीं किया गया। अधिवक्ता आयुक्त की रिपोर्ट के आधार पर पक्षों के शेयरों के संबंध में 03.04.2012 को अंतिम डिक्री तैयार की गई। हालाँकि, याचिकाकर्ताओं का दावा है कि उत्तरदाताओं (प्रतिवादियों) ने अपना कठोर दृष्टिकोण जारी रखा और इस तरह, 2014 का इजराय मामला संख्या 1 *तकथाबंदी* के लिए 23.01.2014 पर दायर किया गया था। उक्त मामले में, नाज़िर को अदालत द्वारा अंतिम डिक्री दिनांक 03.04.2012 के अनुसार कब्जे की सुपुर्दगी करने के लिए नियुक्त किया गया था और 20.09.2015 पर, *नाज़िर* ने संहिता के आदेश 21 नियम 35 के तहत अपनी रिपोर्ट दायर की, जिसमें कहा गया कि कब्जे की सुपुर्दगी संहिता के तहत निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार दोनों पक्षों को दी गई थी। यह आगे स्पष्ट करता है कि 11 महीने के अंतराल के बाद, उत्तरदाताओं (प्रतिवादियों) ने अधिवक्ता आयुक्त की रिपोर्ट के साथ-साथ नाज़िर की रिपोर्ट के खिलाफ आरोप लगाते हुए 09.08.2016 की याचिका दायर की, क्योंकि रिपोर्ट में कई गलतियाँ

थीं और अदालत द्वारा कब्जे के नए सिरे से वितरण की मांग की गई थी। याचिकाकर्ताओं ने उक्त याचिका पर जवाब दाखिल किया। विद्वत विचारण न्यायालय ने दिनांक 20.02.2017 के आदेश के माध्यम से प्रत्यर्थियों द्वारा दायर दिनांकित 09.08.2016 याचिका को स्वीकार कर लिया और कब्जे की सुपुर्दगी के संबंध में *नाज़िर* की रिपोर्ट को खारिज कर दिया। उक्त आदेश को इस न्यायालय के समक्ष चुनौती दी गई है।

03. याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील ने समर्पित किया कि याचिकाकर्ता इस कारण से विवादित आदेश से व्यथित हैं कि उक्त आदेश कानून के साथ-साथ तथ्यों के खिलाफ पारित किया गया है। विद्वत इजराय न्यायालय विद्वान ने प्रतिवादियों के आवेदन पर विचार करने में अपने अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण किया है, क्योंकि प्रारंभिक एवं अंतिम डिक्री पारित होने के बाद इस तरह के आवेदन पर विद्वत इजराय न्यायालय द्वारा विचार नहीं किया जा सकता था। विद्वत इजराय अदालत ने इस तथ्य पर विचार नहीं किया कि *नाज़िर* ने पहले ही कब्जे की सुपुर्दगी के बारे में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है और प्रतिवादी जो निर्णय देनदार हैं, उनसे कहने पर इसे पूर्ववत नहीं किया जा सकता है। विद्वत इजराय न्यायालय ने कानून के अच्छी तरह से स्थापित सिद्धांतों पर विचार नहीं किया और कोई ठोस कारण बताए बिना, निर्णय देनदार के आवेदन की अनुमति दी। विद्वान इजराय अदालत इस बात पर भी विचार करने में विफल रही कि पहले प्रतिवादियों की ओर से दिनांक 16.07.2016 की एक आपति याचिका दायर की गई थी और उक्त आपति याचिका को विद्वान इजराय अदालत द्वारा खारिज कर दिया गया था और प्रतिवादियों ने इसे चुनौती देने के बजाय उसी समान आधार पर 09.08.2016 को एक और आपति याचिका दायर की, जो बनाए रखने योग्य नहीं है। विद्वान वकील ने आगे प्रस्तुत किया कि सामग्री और अंतिम डिक्री के स्केच मानचित्र को सावधानीपूर्वक पढ़ने से पता चलेगा कि वादी/याचिकाकर्ताओं के हिस्से को आवंटित किए गए लॉट के हिस्से को लाल रंग में चिह्नित किया गया है, जबकि जो लॉट प्रतिवादियों/ उत्तरवादियों के हिस्से को आवंटित किए गए थे, उनका

कोई रंग नहीं है। उत्तरदाताओं को डिक्री के इजराय की तारीख के बारे में पूरी जानकारी थी। वे इजराय मामले में नियमित रूप से पेश हो रहे थे और उत्तरदाताओं ने नोटिस को स्वीकार करने से इनकार कर दिया और इसे वैध सेवा माना गया। प्रत्यर्थियों की ओर से एक झूठा दावा किया गया है कि नाज़िर ने वादी/डिक्री धारकों और प्रतिवादियों/निर्णय देनदारों के संबंधित शेयरों के चार्ट में कई कटौती की थी। इससे पहले, विद्वत इजराय अदालत ने आपत्ति पर विचार किया और नाज़िर की रिपोर्ट में कोई अवैधता नहीं पाई और 16.07.2016 दिनांकित आदेश के माध्यम से प्रतिवादियों/उत्तरवादियों की आपत्ति को सही ढंग से खारिज कर दिया।

उनके तर्क के समर्थन में, याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील ने दीपाली विश्वास के मामले में निर्णय का उल्लेख किया। **दीपाली विश्वास बनाम निर्मलेंदु मुखर्जी ने ए आई आर 2021 एससी 4756** में रिपोर्ट किया। जिसमें माननीय उच्चतम न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि एक निर्णय-ऋणदाता को किशतों में इजराय की विधि के बारे में आपत्तियां उठाने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। इस प्रकार, विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि विवादित आदेश टिकाऊ नहीं है और इसे अलग रखा (दरकिनार) जाना चाहिए।

**04.** दूसरी ओर, प्रत्यर्थियों के विद्वान वकील ने याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील द्वारा की गई प्रस्तुति का विरोध करते हुए कहा कि विवादित आदेश उचित और सही है और इस न्यायालय से किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। विद्वत विचारण न्यायालय ने पटना उच्च न्यायालय की आपत्तियों को उचित रूप से स्वीकार कर लिया है। तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करने के बाद उत्तरदाताओं द्वारा दायर किया गया और इसलिए, विवादित आदेश किसी भी अनियमितता या त्रुटियों से ग्रस्त नहीं है। विद्वत इजराय न्यायालय के अधिकार को कोई चुनौती नहीं दी जा सकती क्योंकि उसे सभी विवादों का न्याय निर्णयन करने और डिक्री के इजराय के दौरान किसी भी पक्ष द्वारा उठाई गई किसी भी आपत्ति पर विचार करने की पर्याप्त शक्ति प्राप्त है। विद्वान वकील ने आगे कहा कि विद्वत निचली अदालत ने मामले के तथ्यों पर विचार किया

और विवादित आदेश पारित किया क्योंकि *नाज़िर* की रिपोर्ट अंतिम डिक्री में हिस्से के आवंटन के खिलाफ थी और इसलिए, यह एक अवैध रिपोर्ट थी। तथाकथित कब्जे की सुपुर्दगी उत्तरदाताओं की अनुपस्थिति में हुई और ऐसी रिपोर्ट कानून के तहत स्वीकार्य नहीं है। *नाज़िर* डिक्री धारक के साथ मिलीभगत में आया और उसने प्रतिवादियों के हिस्से में आवंटित भूखंडों के कब्जे को संशोधित करने की कोशिश की। *नाज़िर* ने एक पूरी तरह से झूठी रिपोर्ट प्रस्तुत की और यह दिखाने के लिए किसी भी स्वतंत्रता गवाह के हस्ताक्षर नहीं थे कि उनकी उपस्थिति में कब्जे का वितरण किया गया था। इसके अलावा, रिपोर्ट के अनुसार, पक्षों के पास पहले से ही अपने आवंटित शेयरों का कब्जा है और यदि उक्त रिपोर्ट सही है तो *नाज़िर* डिक्री धारक को कब्जे की सुपुर्दगी कैसे कर सकता है? निर्णय देनदार को कभी कोई नोटिस जारी नहीं किया गया था। निर्णय देनदार को कब्जे की किसी भी सुपुर्दगी के बारे में कोई जानकारी नहीं है। जब निर्णय देनदार को *नाज़िर* की झूठी रिपोर्ट के बारे में पता चला, तो उन्होंने आपत्ति जताई कि *नाज़िर* ने भूमि के चार्ट में कटौती की और रिपोर्ट में इस तथ्य का खुलासा नहीं किया गया कि कौन सा हिस्सा किसे दिया गया था। विद्वान वकील ने आगे प्रस्तुत किया कि हालांकि उक्त आपत्ति को विद्वान इजराय अदालत द्वारा अपने दिनांक 16.07.2016 के आदेश के माध्यम से खारिज कर दिया गया था, अस्वीकृति का कारण आपत्तियों को हलफनामे के साथ समर्थित नहीं किया जा रहा था और आरोप सही तथ्यों को प्रस्तुत नहीं कर रहे थे। हालांकि, विद्वत इजराय अदालत ने निर्णय देनदारों को एक हलफनामे के साथ विधिवत समर्थित सही और स्पष्ट तथ्यों के साथ एक और आपत्ति याचिका दायर करने की स्वतंत्रता दी। इसलिए, दूसरी आपत्ति को प्रतिबंधित नहीं किया गया था। दूसरी आपत्ति 09.08.2016 को दायर की गई थी और यह कहना गलत है कि आपत्ति सीमा की अवधि से परे थी। विद्वान वकील ने दोहराया कि *नाज़िर* ने अपने अधिकार क्षेत्र से परे काम किया और ऐसी रिपोर्ट कानून के तहत स्वीकार्य नहीं है। *नाज़िर* को अंतिम डिक्री के संदर्भ में पक्षों को कब्जा देना था और वह डिक्री से परे कब्जा नहीं दे सकता था। विद्वान वकील ने आगे प्रस्तुत किया कि हालांकि यह अच्छी

तरह से तय किया गया है कि इजराय अदालत को केवल डिक्री को निष्पादित करना है, लेकिन डिक्री के इजराय के दौरान किसी भी पक्ष द्वारा उठाई गई आपत्ति, पर विद्वत इजराय न्यायालय द्वारा, आपत्तियों पर विचार किया जाना चाहिए और उनका निपटारा किया जाना चाहिए और इस आधार पर विद्वत इजराय न्यायालय के आदेश को गलत नहीं ठहराया जा सकता है। विद्वान वकील ने आगे कहा कि चार्ट में कुछ प्रविष्टियों को काटने में नाज़िर की कार्रवाई, जो कि अंतिम डिक्री का हिस्सा है, एक बहुत ही गंभीर मामला है। विद्वान वकील ने आगे प्रस्तुत किया कि इस न्यायालय को भारत के संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत विद्वान निचली अदालत द्वारा तथ्यों की सराहना पर गौर नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह न्यायालय अपील में नहीं बैठता है और यह देखने के लिए बहुत सीमित शक्ति प्राप्त है कि क्या विवादित आदेश पारित करते समय अधिकार क्षेत्र की कोई त्रुटियां हैं और इस कसौटी पर, वर्तमान याचिका बनाए रखने योग्य नहीं है। इसलिए, विवादित आदेश को बरकरार रखा जाना चाहिए।

05. मैंने पक्षकारों की प्रतिद्वंद्वी दलीलों पर गहन विचार किया है और अभिलेख का अवलोकन किया है।

06. आम तौर पर, यह न्यायालय तथ्यों की पुनः समीक्षा नहीं करता है, जब उन पर विचार कर लिया जाता है और एक निष्कर्ष दर्ज कर लिया जाता है। इस आधार पर, न्यायालय एक अलग निष्कर्ष दर्ज नहीं कर सकता, यदि तथ्यों की उचित रूप से समीक्षा की जाती है और कोई गलत निष्कर्ष नहीं निकाला गया हो। मामले के तथ्यों पर आते हुए, प्रतिवादियों ने कब्जे की सुपुर्दगी को प्रभावित करने वाले नाज़िर की रिपोर्ट पर आपत्ति जताई। नाज़िर को विद्वान अधिवक्ता आयुक्त की रिपोर्ट के आधार पर कब्जा देने का काम सौंपा गया है, जिसमें रायबंदी और दज़बंदी के साथ हिस्सा आवंटित किया गया है, जो अंतिम डिक्री का हिस्सा है। विद्वत इजराय अदालत ने नाज़िर की रिपोर्ट को इस आधार पर दरकिनार कर दिया कि नक्शे से भूखंडों की पहचान नहीं की जा सकी और इस तरह के विवरण पर कब्जे की सुपुर्दगी को प्रभावित नहीं किया जा सका। इसके अलावा, विद्वत इजराय अदालत ने कोई कारण नहीं बताया

है, हालांकि उसने देखा है कि निर्णय देनदारों द्वारा किए गए दावे सही थे। अब अपने कथन में, निर्णय देनदारों ने कहा है कि *खाता* संख्या 130 की *खेसरा* संख्या 135 जिसका क्षेत्रफल 02 दशमलव है, निर्णय देनदारों/प्रत्यर्थियों के हिस्से में आवंटित किया गया था, लेकिन इसका कब्जा डिक्री-धारकों/याचिकाकर्ताओं के पक्ष में किया गया था। इसी तरह, यह प्रस्तुत किया गया है कि आवंटन के पक्ष को उत्तर से दक्षिण और दक्षिण से उत्तर में बदलकर *खाता* संख्या 130 के भूखंड संख्या 138 में हेरफेर किया गया है। *खाता* संख्या 129 के *खेसरा* संख्या 88 क्षेत्रफल 06 व 1/2 दशमलव के बारे में भी इसी प्रकार का आरोप लगाया गया है, जिसका पश्चिमी भाग शुरू में निर्णय ऋणियों/प्रतिवादियों को आवंटित किया गया था, लेकिन बाद में इसे डिक्री धारकों/याचिकाकर्ताओं के पक्ष में आवंटित कर दिया गया और पूर्वी भाग के डिक्री धारकों का क्षेत्र कब्जे के समय प्रतिवादियों को दे दिया गया। इसी तरह का आरोप *खाता* संख्या 129 क्षेत्र 11 दशमलव के *खेसरा* संख्या 33, *खाता* संख्या 44 क्षेत्र 57 के *खेसरा* संख्या 257 और *खाता* संख्या 129 क्षेत्र 17 और 1/2 दशमलव के प्लॉट संख्या 7 के संबंध में है। हालाँकि, विद्वान अधिवक्ता आयुक्त के अंतिम डिक्री और रिपोर्ट को देखने पर, यह स्पष्ट है कि प्लॉट संख्या में परिवर्तन विद्वान अधिवक्ता आयुक्त द्वारा अपने प्रारंभिक के साथ किया गया था और यह नहीं कहा जा सकता था कि *नाज़िर* ने कब्जे की सुपुर्दगी करते हुए प्लॉट संख्या को बदल दिया था। अधिवक्ता आयुक्त की रिपोर्ट के साथ संलग्न मानचित्र से यह स्पष्ट होता है कि डिक्री धारकों को वाद सम्पत्ति का वह हिस्सा दिया गया था जिसमें भूखंड संख्या का उल्लेख किया गया था जो लाल रंग में ढके हुए थे जबकि निर्णय देनदारों के भूखंड रंगहीन थे। मानचित्र से यह स्पष्ट है कि प्लॉट संख्या 138 का उत्तरी हिस्सा डिक्री धारकों को दिया गया था। इसी तरह, प्लॉट संख्या 135, जिसका दावा 02 दशमलव क्षेत्र वाले निर्णय देनदारों द्वारा किया गया था, डिक्री धारकों के हिस्से में पूरी तरह से आवंटित किया गया है। इसी तरह, प्लॉट संख्या 88, 7, 33 और 257 में आवंटन निर्णय देनदारों के दावे के अनुसार नहीं किया गया था, बल्कि विद्वान अधिवक्ता आयुक्त द्वारा इन प्लॉटों के क्षेत्र की दिशा बदल

दी गई थी और उन्होंने नक्शे में भी इसे दर्शाया था, जिसमें क्षेत्र के छायांकित हिस्से को लाल रंग से डिक्री धारकों को और खाली हिस्से को निर्णय देनदारों के पक्ष में आवंटित किया गया था। बेशक, अधिवक्ता आयुक्त की रिपोर्ट को चुनौती नहीं दी गई और इसे अंतिम रूप दिया गया है।

07. इसलिए, *नाज़िर* को यह कार्य निर्धारित किया गया था और उसे विद्वान अधिवक्ता आयुक्त की रिपोर्ट वाली अंतिम डिक्री के आधार पर कब्जे की सुपुर्दगी को लागू करना था और आवंटन में कोई अस्पष्टता या अनिश्चिता नहीं दिखाई देती है। इस प्रकार, *नाज़िर* ने विद्वान अधिवक्ता आयुक्त की *रायबंदी* और *दजबंदी* वाली रिपोर्ट पर कार्रवाई की और संपत्ति पर कब्जा सुपुर्दगी को लागू किया।

08. उपर्युक्त चर्चा के आलोक में, मैं भूखंडों के संबंध में मानचित्र में स्पष्टता न होने के बारे में विद्वान इजराय न्यायालय के निष्कर्ष से सहमत नहीं हूँ। *नाज़िर* की रिपोर्ट को इस आधार पर भी चुनौती दी गई है कि *नाज़िर* ने माना है कि पक्षों को उनके संबंधित शेयरों पर कब्जा मिला है और इस प्रकार, कब्जे की सुपुर्दगी की जाती है। लेकिन, मैं यह समझने में असफल हूँ कि यदि यही स्थिति है तो प्रतिवादी क्यों व्यथित हैं? यदि प्रतिवादी अप्रभावित हैं, तो उनके पास *नाज़िर* द्वारा प्रस्तुत कब्जे की सुपुर्दगी के संबंध में रिपोर्ट को चुनौती देने का कोई कारण नहीं था। इसलिए, प्रतिवादियों की ओर से इस तरह का तर्क खारिज किए जाने योग्य है। इसके अलावा, *नाज़िर* की रिपोर्ट पर इसी तरह की आपत्तियों को विद्वान इजराय न्यायालय ने दिनांक 16.07.2016 के विस्तृत आदेश के माध्यम से खारिज कर दिया था।

09. तथ्यों और परिस्थितियों को समग्रता में ध्यान में रखते हुए तथा पक्षों के प्रस्तुतीकरण पर विचार करते हुए, मैं इस विचार पर हूँ कि दिनांक 20.02.2017 का विवादित आदेश कायम नहीं रखा जा सकता क्योंकि यह अधिकार क्षेत्र के गलत विचार के तहत पारित किया गया है और इसलिए, इजराय वाद संख्या 01/2014 में

विद्वान् उप न्यायाधीश-1, हिलसा, नालंदा द्वारा पारित दिनांक 20 फरवरी, 2017 का आदेश अपास्त किया जाता है।

10. तदनुसार, वर्तमान याचिका स्वीकार की जाती है।

(अरुण कुमार झा, न्यायमूर्ति)

आशीष/-

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नहीं किया जा सकता । समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।